आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14/10/23	**न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।** **एस०ए०आर०वाद सं०-531/06-07** **सुकरा उराँव –बनाम– अजीत सिंह वगैरह** ***आदेश*** आवेदक सुकरा उराँव, पिता स्व॰ मंगरा उराँव, निवासी पुरानी राँची, थाना–कोतवाली, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत मौजा–राँची, थाना–205, खाता नं०–164, प्लॉट नं०–154 रकवा–22 डी० जमीन की वापसी हेतु यह वाद संधारित किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी उक्त जमीन विपक्षीगण–(1) अजीत सिंह (2) बलबीर सिंह पिता अज्ञात (3) राजू साहू द्वारा राजु सरिया मील सभी ग्राम–गोरखनाथ लेन पिंजरा पोल, गोशाला चौंक, थाना कोतवाली, जिला राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है। आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे वकाशत भुइहरी नाम लगान पाने वाला मंगरा उराँव के नाम से दर्ज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। आवेदक अपने लिखित ब्यान में कहा है कि वर्णित भूमि आर०एस०खाता नं०–164 वकाश्त भुइहरी लगान पाने वाला मंगरा उराँव खेवट नं०–7/2 के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि किसी भी रूप में हस्तांतरणीय नहीं है। विपक्षी गण गैर–कानुनी नाजायज दखल है। विपक्षी गण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कागजात जिसका खेवट नं०–9/1 खाता नं०–150, थाना नं०–205, मौजा–राँची, एम० एस० कृ०पृ०उल्टे	

14/10/23

प्लॉट नं०–205 रकवा–52 डीसमिल से संबंधित वर्णन किया है, जो उक्त भूमि से भिन्न है। इसी को आधार मानते हुए तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी राँची ने वर्णित भूमि को भू–वापसी का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण अपर समाहर्त्ता राँची के न्यायालय में अपील वाद सं०–27आर15/08–09 दायर किये। अपने आदेश में दोनो पक्षों को समुचित अवसर देने का निदेश देते हुए पूर्व में पारित आदेश को set aside कर दिये।

विपक्षीगण मनजीत सिंह और अजीत सिंह अपने कारण पृच्छा में कहा है कि खाता नं०–164, प्लॉट नं०–154 रकवा–3क०10छ० भूमि छप्परबंदी है। इन्होंने खेवट नं०–9/1 खाता नं०–150, थाना नं०–205, मौजा–राँची, एम०एस०प्लॉट नं०–205 रकवा–03 कट्टा 10 छटांक की जमीन की मालिक है। सी०एस०खतियान में उक्त भूमि महली उराँव के नाम पर दर्ज है। एम०एस०प्लॉट नं०–193 रकवा–530 कडी भूमि महली उराँव मंगरा उराँव के नाम से दर्ज है। छप्परबंदी में परवर्तित होने के बाद अनसुईया देवी को बेच दिया। अनसूईया देवी की पुत्री लालो देवी एवं बिरजू राम रवानी ने विक्रय पत्र सं०–4108 दिनांक–11.06.1959 को हस्तान्तरित कर दिया है। विपक्षी राजू साहू अपने कारण पृच्छा में कहा है कि उनका वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद साहू, पिता देवकीनन्दन साहू है, और इन्होंने दयाशंकर मोदी से निबंधन द्वारा प्राप्त किया है।

विपक्षी गण के द्वारा कारण प्रस्तुत के आधार तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी ने दिनांक–03.08.10 एवं उपायुक्त का न्यायालय ने दिनांक–28.06.14 को आदेश पारित किया है कि विपक्षी सी०एस०खाता नं०–150 प्लॉट नं०–205 और आर०एस०खाता नं०–164 प्लॉट सं०–154 का तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी, शहर के पत्रांक–299(ii) दिनांक–23.03.2009 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–राँची थाना नं०–205 प्लॉट नं०–154 का नापी आवेदक एवं हल्का कर्मचारी की उपस्थिति में किया गया। वाद सं०–531/06–07 से संबंधित भूमि पर विपक्षी का पक्का मकान एवं सहन है।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के सुनने के बाद इस वाद को आदेश पर रखा गया।

14/10/23

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे वकाशत भुइहरी नाम लगान पाने वाला मंगरा उराँव के नाम से दर्ज है। आवेदक के द्वारा मौजा–राँची, थाना सं०–205, आर०एस०खाता नं०–164 प्लॉट सं०–154 पर वाद किया है, परन्तु विपक्षी गण के द्वारा सी०एस०खाता नं०–150 प्लॉट नं०–205 corresponding to एम०एस०प्लॉट नं०–193 से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया है, परन्तु सी०एस० खाता सं०–150 प्लॉट नं०–205 से ही आर०एस० खाता नं०–164 प्लॉट नं०–154 बना है, से संबंधित दस्तावेज एवं तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और खतियानी रैयत के वंशज है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है। विपक्षीगण आदिवासी रैयत की खतियानी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानो का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है, तथा तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से विपक्षीगण को भूमि से बेदखल करते हुए उक्त भूमि आवेदक को वापस किया जाता है, तथा विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, शहर को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्ष सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Mi 14/10/23 — Mi 14/10/23

विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची। — विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 12:21:44 +05:30
Location: 192.168.51.130

ज्ञापांक – 36 (ii) दिनांक – 15/02/2024

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी, शहर, राँची को प्रश्नगत भूमि पर दखल-देहानी हेतु प्रेषित।

Mi 15/2/24
वि० वि० पदाधिकारी,
राँची।